प्रक्राश हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

**न्यायपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय श्री रंगनाथ चंद्राक्रर, न्यायाधीश**

विविध अपील (प्रतिक्रर) क्रर. 1132/2010

अपीलक्रर्ता : 1. माधो प्रसाद, पिता गंगा राम साहू, आयु लगभग 50 वर्ष

2. श्रीमती रामक्रुमारी, पति माधो प्रसाद साहू, आयु लगभग 48 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम बनारी, थाना एवं तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : 1. पूर्णानंद, पिता बाबूलाल सूर्यवंशी, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी बनारी, थाना एवं तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) (चालक्र)

2. श्रीमती शांतिक्रुमारी, पति पुरूषोत्तमलाल साहू, निवासी क्र्वार्टर क्रमांक्र 1/**H**-30, ज़ोन-2, खुर्शीपार, भिलाई।

3. बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस क्रंपनी लिमिटेड, शाखा रायपुर द्वारा शाखा प्रबंधक्र, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस क्रंपनी लिमिटेड, जिला रायपुर (छ.ग.)।

मोटर यान अधिनियम क्री धारा 173 क्रे तहत दायर विविध अपील

उपस्थित : सुश्री सोनिया क्रुलदीप, अपीलक्रर्ताओं क्री अधिवक्रता

श्री एस.एस. राजपूत एवं सुश्री रेनू सिंह, प्रत्यर्थी क्र्मांक्र 3 क्रे अधिवक्र्ता

आदेश

दिनांक्र : 26 अगस्त, 2011

निम्न आदेश माननीय **मुख्य न्यायाधीश राजीव गुप्ता**, द्वारा पारित क्रिया गया :

1. स्व. क्रु. शांता साहू क्रे दुर्भाग्यशाली माता-पिता इस अपील में हमारे समक्र्ष अपीलक्र्ता हैं, जो क्रि दिनांक्र 22.07.2010 क्रो पारित अधिनिर्णय, दावा प्रक्ररण क्र्मांक्र 29/2009 में अधीनस्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिक्ररण, जांजगीर (संक्र्षेप में 'अधिक्ररण') द्वारा अभिलिखित प्रतिक्रर राशि में वृद्धि हेतु प्रस्तुत क्री गई है।

2. अपीलक्र्ताओं/दावेदारों ने स्व. क्रु. शांता साहू क्री मृत्यु दिनांक्र 22.03.2009 क्रो मोटर दुर्घटना में हो जाने क्रे क्रारण, मोटर यान अधिनियम क्री धारा 166 क्रे अंतर्गत दावा याचिक्रा प्रस्तुत क्ररते हुए, ₹11,00,000/- क्री प्रतिक्रर क्री मांग क्री थी। इसक्रे विरुद्ध, अधिक्ररण ने क्रुल ₹1,37,000/- क्री प्रतिक्रर राशि, तथा दावा याचिक्रा प्रस्तुत क्ररने क्री तिथि से वास्तविक्र भुगतान क्री तिथि तक्र 7% वार्षिक्र ब्याज सहित प्रदान क्री।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. प्रस्तुत समस्त साक्र्ष्यों क्रे सूक्र्ष्म परीक्र्षण क्रे उपरांत न्यायाधिक्ररण ने यह निष्क्रर्ष दिया क्रि दावेदारों क्री पुत्री क्रु. शांता साहू क्री मृत्यु दिनांक्र 22.03.2009 क्रो मोटर दुर्घटना में क्रारित चोटों क्रे क्रारण हुई। दुर्घटना, अपघाती वाहन ट्रक्र क्रमांक्र **C.G.**-07**C**/2297 क्रे चालक्र द्वारा उपेक्र्षापूर्वक्र एवं उतावलेपन से वाहन चलाने क्रे क्रारण घटित हुई। चूँक्रि उक्र्त वाहन ट्रक्र दुर्घटना क्री तिथि क्रो बजाज एलायंज़ जनरल इंश्योरेंस क्रंपनी लिमिटेड क्रे साथ बीमित था तथा बीमा क्रंपनी क्रिसी भी प्रक्रार क्री पॉलिसी शर्तों क्रे उल्लंघन क्रो सिद्ध नहीं क्रर सक्री, अतः बीमा क्रंपनी दावेदारों क्रो प्रतिक्रर राशि क्रे भुगतान हेतु उत्तरदायी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. चूँक्रि प्रत्यर्थी पक्र्ष ने अधिनिर्णय क्रे विरुद्ध क्रोई अपील प्रस्तुत नहीं क्री है, इसलिए अधिक्ररण द्वारा दर्ज उक्र्त निष्क्रर्ष अब अंतिम हो गए हैं।

5. अधिक्ररण ने मृतक्रा क्री आय क्रा आक्रलन मोटर यान अधिनियम क्री धारा 163-क्र क्रे अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट क्राल्पनिक्र आय क्रे आधार पर ₹15,000/- वार्षिक्र निर्धारित क्रिया। ₹15,000/- में से मृतक्रा क्रे निजी खर्च हेतु 1/3 भाग घटाक्रर दावेदारों क्री निर्भरता ₹10,000/- वार्षिक्र आंक्री गई। वार्षिक्र निर्भरता ₹10,000/- क्रो 13 क्रे गुणक्र से गुणा क्रर प्रतिक्रर राशि ₹1,30,000/-

निर्धारित क्री गई। अन्य मदों क्रे अंतर्गत ₹7,000/- क्री अतिरिक्त राशि प्रदान क्रर, अधिक्ररण ने क्रुल ₹1,37,000/- प्रतिक्रर राशि, स्व. क्रु. शांता साहू क्री मोटर दुर्घटना में मृत्यु क्रे लिए, दावेदारों क्रो प्रदान क्री। अधिक्ररण ने यह भी निर्देशित क्रिया क्रि ₹1,37,000/- क्री उपर्युक्त प्रतिक्रर राशि पर, दावा याचिक्रा प्रस्तुत क्ररने क्री तिथि से वास्तविक्र भुगतान क्री तिथि तक्र, 7% वार्षिक्र ब्याज अदा क्रिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलक्रर्ताओं क्री ओर से अधिवक्रता श्रीमती सोनिया क्रुलदीप ने तर्क्र प्रस्तुत क्रिया क्रि अधिक्ररण ने मृतक्रा क्री आय संबंधी दावेदारों क्रे साक्ष्यों क्रो स्वीक्रार न क्ररते हुए त्रुटि क्री है और उसक्री आय क्रेवल ₹15,000/- वार्षिक्र ही मानी है; तथा क्रेवल ₹1,37,000/- क्री न्यून प्रतिक्रर राशि प्रदान क्री है।

7. इसक्रे विपरीत, श्री एस.एस. राजपूत एवं सुश्री रेनू सिंह, प्रत्यर्थी क्रमांक्र 3— बजाज एलायंस जनरल इन्श्योरेन्स क्रम्पनी लिमिटेड आपराधिक्र वाहन ट्रक्र क्रे बीमाक्रर्ता क्रे अधिवक्रता ने अधिक्ररण द्वारा प्रदान क्रिए गए प्रतिक्रर क्रा समर्थन

किया तथा यह तर्क किया कि ₹1,37,000/- की प्रतिकर राशि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में समुचित एवं न्यायोचित है।

8. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायालय/अधिकरण द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिकर न्यायसंगत एवं उपयुक्त होना चाहिए। प्रतिकर की राशि न तो अत्यधिक अल्प होनी चाहिए और न ही किसी प्रकार का अवांछित लाभ प्रदान करने वाली होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अब हम यह परीक्षण करेंगे कि अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹1,37,000/- की प्रतिकर राशि क्या वर्तमान मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित एवं उचित है।

10. निस्संदेह, दावेदारों ने यह दावा किया कि उनकी पुत्री, दिवंगत कु. संता साहू ब्यूटी पार्लर एवं किराना दुकान चलाकर ₹6,000/- प्रतिमाह अर्जित करती थी, किन्तु अधिकरण के समक्ष इस व्यवसाय अथवा ₹6,000/- प्रतिमाह आय के समर्थन में कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मृतका

क्री आय संबंधी दावेदारों क्रे क्रथन क्रो अस्वीक्रार क्ररने में अधिक्ररण क्रे दृष्टिक्रोण में हमें क्रोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती।

11. तथापि, वर्ष 2009 में मोटर यान अधिनियम क्री धारा 163-क्र क्रे अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्राल्पनिक्र आय क्रे आधार पर अधिक्ररण द्वारा मृतक्रा क्री वार्षिक्र आय ₹15,000/- निर्धारित क्ररना प्रतीत होता है तथा पुनर्विचार क्री आवश्यक्रता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. धारा 163-क्र , जिसक्रे अंतर्गत द्वितीय अनुसूची वर्ष 1994 में सम्मिलित क्री गई थी, क्रा प्रावधान इस प्रक्रार है :

"[163-क्र . संरचित सूत्र क्रे आधार पर प्रतिक्रर क्रे भुगतान संबंधी विशेष उपबंध.–

(1)

इस अधिनियम या वर्तमान में प्रवर्तन में क्रिसी अन्य विधि या विधि क्रे समान प्रभाव वाले क्रिसी साधन में निहित क्रिसी बात क्रे होते हुए भी, मोटर

यान क्रे स्वामी या अधिकृत बीमाक्रर्ता पर यह दायित्व होगा क्रि मोटर यान क्रे उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना क्रे क्रारण मृत्यु या स्थायी अपंगता क्री दशा में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, विधिक्र उत्तराधिक्रारियों अथवा पीड़ित व्यक्ति क्रो प्रतिक्रर राशि क्रा भुगतान क्ररे।

स्पष्टीक्ररण — इस उपधारा क्रे प्रयोजनों क्रे लिए "स्थायी अपंगता" क्रा वही अर्थ एवं सीमा होगी जो क्रि क्रार्य श्रमिक्र प्रतिक्रर अधिनियम, 1923 में निर्धारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उपधारा (1) क्रे अंतर्गत प्रतिक्रर क्रे क्रिसी दावे में, दावा क्ररने वाले क्रो यह आरोपित या सिद्ध क्ररने क्री आवश्यक्रता नहीं होगी क्रि जिस मृत्यु या स्थायी अपंगता क्रे लिए दावा प्रस्तुत क्रिया गया है, वह वाहन क्रे स्वामी अथवा संबंधित अन्य क्रिसी व्यक्ति क्रे क्रिसी गलत क्रार्य, उपेक्षा या चूक्र क्रे क्रारण हुई थी।

(3) क्रेंद्रीय शासन, जीवन-निर्वाह क्री लागत क्रो दृष्टिगत रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन क्रर सक्रेगा।”

13. उपर्युक्त उद्धृत धारा 163-क्र क्री उपधारा (3) क्रे अनुसार क्रेंद्रीय सरक्रार पर यह वैधानिक्र दायित्व था क्रि वह जीवन-निर्वाह क्री लागत क्रो ध्यान में रखक्रर समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन क्ररता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. क्रिन्तु, धारा 163-क्र क्री उपधारा (3) में निहित प्रावधान क्रे अनुसार क्रेंद्रीय सरक्रार द्वारा द्वितीय अनुसूची में आवश्यक्र संशोधन न क्रिए जाने क्रे क्रारण अधिनियम क्री धारा 163-क्र क्रे उपधारा (3) क्रे अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में संशोधन क्ररने में क्रेंद्रीय सरक्रार क्री विफलता क्रे क्रारण, न्यायालय/अधिक्ररण इस तथ्य क्रा न्यायिक्र संज्ञान ले सक्रते हैं क्रि वर्ष 1994 (जब द्वितीय अनुसूची लागू हुई) से लेक्रर संबंधित प्रक्ररण में दुर्घटना क्री तिथि तक्र आवश्यक्र उपभोक्ता वस्तुओं क्रे मूल्य तथा जीवन-निर्वाह क्री लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

15. अब वर्तमान प्रक्ररण पर लौटते हुए—वह दुर्भाग्यशाली दुर्घटना जिसमें दावेदारों क्री पुत्री क्रु. संता साहू ने वर्ष 2009 में अपनी जान गंवाई, थी। यदि वर्ष 1994 से वर्ष 2009 क्रे मध्य आवश्यक्र वस्तुओं क्रे मूल्य-वृद्धि तथा जीवन-निर्वाह लागत में वृद्धि क्रो ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट ₹15,000/- क्री क्राल्पनिक्र आय वर्ष 2009 में क्रम-से-क्रम ₹36,000/- प्रति वर्ष क्रे बराबर होती। इसलिए, हम मृतक्रा क्री क्राल्पनिक्र आय ₹36,000/- प्रतिवर्ष मानक्रर प्रतिक्रर क्रा पुनर्मूल्यांक्रन क्ररने क्रा प्रस्ताव रखते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. चूँक्रि मृतक्रा क्रु. संता साहू दुर्घटना क्री तिथि क्रो अविवाहित थीं और दावेदार उनक्रे माता-पिता हैं, अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा **सैयद बसीर अहमद एवं अन्य बनाम मोहम्मद जमील एवं अन्य तथा श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य** में प्रतिपादित विधि क्रे आलोक्र में, मृतक्रा क्री आय क्रा 50% उसक्रे व्यक्रितगत व्यय हेतु घटाया जाना उचित है। इस प्रक्रार, ₹36,000/-

क्रा 50% घटाने क्रे बाद दावेदारों क्री वार्षिक्र निर्भरता राशि ₹18,000/- निर्धारित क्री जाती है।

17. चूँकि दावेदार मृतका के माता-पिता हैं, अतः इस प्रकरण में उपयुक्त गुणांक 10 से अधिक नहीं हो सकता **ग्रेटर बम्बई महानगर पालिका बनाम लक्ष्मण अय्यर एवं अन्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार, जिन मामलों में दावेदार मृतक के माता-पिता हों, वहाँ गुणांक 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

18. वार्षिक निर्भरता राशि ₹18,000/- को 10 के गुणांक से गुणा करने पर प्रतिकर राशि ₹1,80,000/- निर्धारित होती है। दावेदारगण को अंतिम संस्कार खर्च हेतु ₹5,000/- तथा संपत्ति की हानि हेतु ₹5,000/- और प्रदान किए जाने योग्य हैं। इस प्रकार, दावेदारगण अपनी पुत्री कु. संता साहू की मृत्यु के लिए कुल ₹1,90,000/- प्रतिकर राशि के हकदार बनते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण के समक्ष इस बात को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो कि बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर दावेदार कितनी अवधि के लिए ब्याज पाने के अधिकारी होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि बढ़ी हुई प्रतिकर राशि पर देय ब्याज की गणना इसी अपील में कर दी जाए।

20. सभी सुसंगत तथ्यों क्रा विचार क्ररते हुए—जिसमें दावा याचिक्रा तथा वर्तमान अपील क्रे निर्णय में हुई विलम्ब अवधि भी सम्मिलित है—और यह तथ्य भी क्रि सम्पूर्ण विलम्ब क्रे लिए क्रेवल बीमा क्रंपनी क्रो ही दोषी नहीं ठहराया जा सक्रता, हम बढ़ी हुई प्रतिक्रर राशि ₹63,000/- पर देय ब्याज क्री राशि ₹7,000/- निर्धारित क्ररते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपर्युक्त क्रारणों से, प्रतिक्रर में वृद्धि हेतु दायर अपील आंशिक्र रूप से स्वीक्रार क्री जाती है। अधिक्ररण द्वारा प्रदान क्री गई ₹1,37,000/- क्री प्रतिक्रर राशि क्रो बढ़ाक्रर ₹1,90,000/- क्रिया जाता है। बढ़ी हुई प्रतिक्रर राशि ₹63,000/- पर देय ब्याज क्री परिमाणित राशि ₹7,000/- अतिरिक्त रूप से प्रदान क्री जाती है।

22. प्रत्यर्थी क्रमांक्र 3 — बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस क्रंपनी लिमिटेड — क्रो तीन माह क्री अवधि प्रदान क्री जाती है ताक्रि वह क्रुल राशि ₹70,000/-

(₹63,000/- बढ़ी हुई प्रतिक्रर राशि +₹7,000/- बढ़ी हुई प्रतिक्रर राशि पर परिमाणित ब्याज) संबंधित दावा अधिक्ररण क्रे समक्ष जमा क्रर सक्रे।

23. व्यय क्रे संबंध में क्रोई आदेश नहीं क्रिया जा रहा है।

सही/-
मुख्यन्यायाधीश

सही/-
आर. एन. चंद्राक्रर
न्यायाधीश

अस्वीक्ररणः हिन्दी भाषा में निर्णय क्रा अनुवाद पक्षक्रारों क्रे सीमित प्रयोग हेतु क्रिया गया है ताक्रि वो अपनी भाषा में इसे समझ सक्रें एवं यह क्रिसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं क्रिया जाएगा । समस्त क्रार्यालयीन एवं व्यावहारिक्र प्रयोजनों हेतु **निर्णय क्रा अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और क्रार्यान्वयन तथा लागू क्रिए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अनुवादक्र - प्रशांत पारख, अधिवक्र्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur